सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 कार्तिक 1, गुरुवार, शाके 1947–अक्टूबर 23, 2025 अंक 30
Vol. 77 Kartika 1 , Thursday, Saka 1947-October 23, 2025 No. 30

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बंध पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम वित्त विभाग के आदेश एफ1/12/एफ.डी.ई.आर.187 दिनांक 10–04–57 की अनुपालना में)

इस बंध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता योगेन्द्र पारख (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व योगेन्द्र कुमार पारख (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियुक्ति आदेश क्रमांक जिप/प.4 (23) संस्था/क.लि. 99/2334–41 दि. 11–04–2000 (क्र.सं. 2) (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए पद का नाम) के रूप में कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिला परिषद्, जोधपुर राज में नियुक्त था (वर्तमान में मैं अति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला परिषद् जोधपुर राज में कार्यरत हूँ) (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था. एतद्द्वारा :–

1. स्वय तथा मेरे पति/पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम योगेन्द्र कुमार पारख (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूं तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम तथा उपनाम योगेन्द्र पारख ग्रहण करता हूं एवं इसलिए मैं. मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम योगेन्द्र कुमार पारख (केवल) से न जाने जाए तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम योगेन्द्र पारख द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूं कि मैं एतद्द्वारा सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखो, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियो, व्यवहारों एवं लेन–देनो में तथा सभी अवसरो पर अपने पूर्व नाम तथा उपनाम योगेन्द्र कुमार पारख (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में योगेन्द्र पारख नाम के रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चो को तदनुसार नये रखे नाम उपनाम योगेन्द्र पारख के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं तथा उसके लिए निवेदन करता हूं।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम योगेन्द्र कुमार पारख तथा योगेन्द्र पारख का वर्णन किया है तथा दिनाक 01–09–2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम योगेन्द्र पारख द्वारा जो पूर्व में योगेन्द्र कुमार पारख कहलाता था हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. अशोक कुमार सान्दू, Add. AO ZOP JODHPUR
2. दिलीप कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर।

योगेन्द्र पारख
हस्ताक्षर
नया नाम : योगेन्द्र पारख
पुराना नाम : योगेन्द्र कुमार पारख

प्रतिहस्ताक्षर
गणपतलाल सुथार
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, जोधपुर।

17440

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।